संख्या-982/छः-पु0-8-12-801(77)/2010

प्रेषक,

आर0एम0 श्रीवास्तव
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

अपर पुलिस महानिदेशक,
फायर सर्विस मुख्यालय,
उ0प्र0 लखनऊ।

गृह (पुलिस) अनुभाग-8 लखनऊः दिनांकः 26 जून, 2012

विषयः- उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक ज्येष्ठता (चतुर्थ संशोधन) नियमावली, 2012 के अनुसार सीधी भर्ती के मुख्य अग्निशमन अधिकारी व मुख्य अग्निशमन अधिकारी के पद से उप निदेशक तकनीकी/सेनानायक के पद पर प्रोन्नत एवं सीधी/प्रोन्नत संवर्ग के अग्निशमन द्वितीय अधिकारी/अग्निशमन अधिकारी से मुख्य अग्निशमन अधिकारी के पद पर प्रोन्नत कार्मिकों की पोषक संवर्ग मौलिक पद के आधार पर पारस्परिक ज्येष्ठता का निर्धारण।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-एफएस-123-1992/II (2012) दिनांक 12 जून 2012 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली, 1991 (चतुर्थ संशोधन) नियमावली, 2012 में निहित व्यवस्था तथा तत्सम्बन्धी कार्मिक विभाग के शासनादेश संख्या-4/1/2002टीसी/1-का-2/2012 दिनांक 08 मई 2012 एवं तत्क्रम में निर्गत शासनादेश दिनांक 13.05.2012 के अनुसार फायर सर्विस में नियुक्त राजपत्रित अधिकारियों की पारस्परिक अनन्तिम ज्येष्ठता सूची फायर सर्विस मुख्यालय के पत्र संख्या-एफएस-123-92/II (2012) दिनांक 05 जून 2012 द्वारा परिचालित करते हुये दिनांक 12.06.2012 तक आपत्तियां आमंत्रित की गयी थीं। उक्त अनन्तिम ज्येष्ठता सूची के विरूद्ध अग्निशमन मुख्यालय स्तर पर प्राप्त एवं उनके द्वारा शासन को उपलब्ध करायी गयी आपत्तियों का निस्तारण निम्नवत् किया जाता है:-

क0	नाम व पद सर्वश्री-	आपत्ति	आपत्ति का निस्तारण
1	पी0के0 राव, उप निदेशक, तकनीकी, फायर सर्विस मुख्यालय	ज्येष्ठता स्वीकार है।	ज्येष्ठता स्वीकार है।
2	आर0के0 सिंह, सेनानायक/प्रधानाचार्य, एसएफएसटीसी, उन्नाव	ज्येष्ठता स्वीकार है।	ज्येष्ठता स्वीकार है।
3	जे0के0 सिंह, सहा0 सेनानायक/प्रधानाचार्य, एसएफएसटीसी, उन्नाव	ज्येष्ठता स्वीकार है।	ज्येष्ठता स्वीकार है।
4	अरविन्द कुमार, उप निदेशक, तकनीकी, फायर सर्विस मुख्यालय	श्री अरविन्द कुमार द्वारा दिये गये अपने प्रत्यावेदन दिनांक .. में मा0 उच्च न्यायालय लखनऊ पीठ,	श्री अरविन्द कुमार द्वारा उठाये गये आपत्तियों के संबंध में अवगत कराना है कि उ0प्र0 सरकारी सेवक

		लखनऊ के आदेश दिनांक 04.01.2011 एवं मा0 उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 27.04.2011 का उल्लेख करते हुए निम्न बिन्दु अंकित किये गये है जो अभिलेखीय हैं:- That by means of aforesaid Seniority list, I have been placed at serial No. 4, whereas at serial No. 3 Sri J.K. Singh had been placed, who is junior in rank. That the applicant was promoted to the post of commandant/Principal, State fire service training college which is same cadre as, Deputy Director (Technical) vide order dated 16.12.1997 That, similarly Mr. P.K. Rao was promoted to the said post of Deputy Director (Technical), on 24.02.1988 and Mr.R.K. Singh was promoted to the post of Deputy Director (Technical), on 24.11.2006. That, as of now in the said cadre of Deputy Director (Technical) there are three persons namely I myself, Mr. P.K. Rao and Mr. R.K. Singh are working. That, the cadre as difined in service rules applicable on the applicant i.e. the U.P. Govt. servant Seniority rules, 1991 as follows :- "Cadre" means the strengths of service, or prt of service sanctioned as a separate unit" That, the post of Deputy Director (Technical) is a separate cadre as per applicable rules as specific number of post are sanctioned as a separate unit. That in the said cadre of Deputy Director (Technical), the three persons mentioned in the tentative seniority list at serial no-3,5 and 6 namely	ज्येष्ठता नियमावली, 1991 भाग-2 में ज्येष्ठता का अवधारण नियम-6 व 7 में निम्न व्यवस्था की गयी है। नियम-6 ''जहां सेवा नियमावली के अनुसार नियुक्तियां केवल एक पोषक संवर्ग से पदोन्नति द्वारा की जानी हो वहां इस प्रकार नियुक्त व्यक्तियों को परस्पर ज्येष्ठता वही होगी जो पोषक संवर्ग में थी।'' **स्पष्टीकरण**-पोषक संवर्ग में ज्येष्ठ कोई व्यक्ति भले ही उसकी पदोन्नति पोषक संवर्ग में उससे कनिष्ठ व्यक्ति के पश्चात की गयी हो, उस संवर्ग में जिसमें पदोन्नति की जाये अपनी वही ज्येष्ठता पुनः प्राप्त कर लेगा, जो पोषक संवर्ग में थी। नियम-7 ''जहां सेवा नियमावली के अनुसार नियुक्तियां एक से अधिक पोषक संवर्ग से केवल पदोन्नति द्वारा की जानी हो वहां किसी एक चयन के परिणामस्वरूप नियुक्त किये गये व्यक्तियों की परस्पर ज्येष्ठता अपने-अपने पोषक संवर्ग में उनकी मौलिक नियुक्ति के आदेश के दिनांक के अनुसार अवधारित की जायेंगी।'' **स्पष्टीकरण**-जहां पोषक संवर्ग में मौलिक नियुक्ति के आदेश में कोई ऐसा विशिष्ट पूर्ववर्ती दिनांक विनिर्दिष्ट हो, जिससे कोई व्यक्ति मौलिक रूप से नियुक्त किया जाये तो वह दिनांक मौलिक नियुक्ति के आदेश का दिनांक माना जायेगा और अन्य मामलो में इसका तात्पर्य आदेश जारी किये जाने के दिनांक से होगा। प्रतिबन्ध यह है कि जहां पोषक संवर्ग के वेतनमान भिन्न हो तो उच्चतर वेतनमान वाले पोषक संवर्ग के पदोन्नति व्यक्ति निम्नतर वेतनमान वाले पोषक संवर्ग से पदोन्नति व्यक्तियों से ज्येष्ठ होंगें। भाग-3 नियम-9 ज्येष्ठता सूची तैयार किया जाना (1) सेवा में नियुकितयां होने के पश्चात यथा संभव शीघ्र नियुक्त प्राधिकारी इस नियमावली के उपबन्धों के अनुसार सेवा में मौलिक रूप से नियुक्त किये गये व्यक्तियों की एक अनन्तिम ज्येष्ठता सूची तैयार करेगा।

		Mr. J. K. Singh, Mr. Aman Sharma and Mr. Ajai Gupta are in the cadre of chief fire officer which is a cadre below than Deputy Director. That hance the inclusion of these three persons in the seniority list is in violation to the rules 9 of the U.P. Govt. servants seniority rules, 1991.	(2) अनन्तिम ज्येष्ठता सूची को संबंधित व्यक्तियों में आपत्तियां आमंत्रित करते युक्ति-युक्ति अवधि का नोटिस देकर , जो अनन्तिम ज्येष्ठता सूची के परिचालन के दिनांक से कम से कम 07 दिवस की होगी, परिचालित किया जायेगा। (3) इस नियमावली की शक्तिमत्ता या विधिमान्यता के विरूद्ध कोई आपत्ति ग्रहण नही की जायेगी। (4) नियुक्ति प्राधिकारी युक्तिसंगत आदेश द्वारा आपत्तियों का निस्तारण करने के पश्चात अन्तिम ज्येष्ठता सची जारी करेगा। (5) उस संवर्ग की जिसमें नियुक्तियां एक पोषक संवर्ग से पदोन्नति द्वारा की जायें, ज्येष्ठता सूची तैयार करना आवश्यक नही होगा। उपरोक्त नियमों के अनुसार श्री अरविन्द कुमार, उप निदेशक द्वारा उठायी गयी आपत्तियां नियम-6 व 7 में वर्णित विधिक व्यवस्था के अनुरूप ही है क्योंकि ज्येष्ठता का निर्धारण पोषक संवर्ग कें आधार पर (मुख्य अग्निशमन अधिकारी सीधी भर्ती) अनन्तिम निर्धारित की गयी है, जिसमें किसी परिवर्तन/संशोधन की आवश्यकता नही रह गयी है। आरक्षित श्रेणी की पदोन्नतियां, जो उ0प्र0 लोक सेवा आयोग (अनु0 जातियों, अनु0 जन जातियों एवं अन्य पिछड़े वर्ग कि लिए आरक्षण) अधिनियम 1994 की धारा-3(7) के आधार पर न की गयी हो एवं इन्दिरा साहनी वाद के निर्णय से आच्छादित है अर्थात दिनांक 17.11.97 से पूर्व की हो, संरक्षित है उन्हें डिस्टर्ब नही किया जायेगा। उ0प्र0 ज्येष्ठता नियमावली-1991 के नियम-8 (का) को मा0 उच्च न्यायालय एवं मा0 उच्वतम न्यायालय द्वारा निर्णय दिनांक 04. 01.11 एवं 27.04.12 द्वारा असंवैधानिक घोषित कर दिया गया है। उपरोक्त नियमावली में एसा कोई प्रावधान नही है जिसके आधार पर सेवा के विभिन्न पदो पर ज्येष्ठता का अलग-अलग निर्धारण किया जाय। मौलिक पद की ज्येष्ठता ही

			ऊपर के पदो पर पदोन्नति के उपरान्त भी यथावत लागू रहती है। उप निदेशक तकनीकी/सेनानायक का पद पोषक संवर्ग में नही है, इसलिए पृथक से ज्येष्ठता निर्धारण किये जाने का कोई औचित्य नही है।
5	अमन शर्मा, मुख्य अग्निशमन अधिकारी, गौतमबुद्धनगर	ज्येष्ठता स्वीकार है।	ज्येष्ठता स्वीकार है।
6	अजय कुमार गुप्ता, मुख्य अग्निशमन अधिकारी, एटा	ज्येष्ठता स्वीकार है।	ज्येष्ठता स्वीकार है।
7	राजेन्द्र तिवारी, सेवानिवृत्त मुख्य अग्निशमन अधिकारी	ज्येष्ठता स्वीकार है।	ज्येष्ठता स्वीकार है।
8	बी0पी0 पाण्डेय, मुख्य अग्निशमन अधिकारी, सीतापुर	ज्येष्ठता स्वीकार है।	ज्येष्ठता स्वीकार है।
9	छिद्दू राम, मुख्य अग्निशमन अधिकारी, सीतापुर	ज्येष्ठता स्वीकार है।	ज्येष्ठता स्वीकार है।
10	पी0पी0 अवस्थी, मुख्य अग्निशमन अधिकारी, रायबरेली	ज्येष्ठता स्वीकार है।	ज्येष्ठता स्वीकार है।
11	आर0के0 पाण्डेय, मुख्य अग्निशमन अधिकारी, फैजाबाद	ज्येष्ठता स्वीकार है।	ज्येष्ठता स्वीकार है।
12	योगेश बाबू द्विवेदी, मुख्य अग्निशमन अधिकारी, इटावा	ज्येष्ठता स्वीकार है।	ज्येष्ठता स्वीकार है।
13	सतीश चन्द्र, मुख्य अग्निशमन अधिकारी, इलाहाबाद	ज्येष्ठता स्वीकार है।	ज्येष्ठता स्वीकार है।
14	जाकिर हुसैन, मुख्य अग्निशमन अधिकारी, आगरा	ज्येष्ठता स्वीकार है।	ज्येष्ठता स्वीकार है।
15	नेम चन्द्र, मुख्य अग्निशमन अधिकारी, बांदा	ज्येष्ठता स्वीकार है।	ज्येष्ठता स्वीकार है।
16	राम सनही विश्वकर्मा, मुख्य अग्निशमन अधिकारी, मुजफ्फरनगर	ज्येष्ठता स्वीकार है।	ज्येष्ठता स्वीकार है।
17	एस0के0 सिंह, मुख्य अग्निशमन अधिकारी, सुल्तानपुर	ज्येष्ठता स्वीकार है।	ज्येष्ठता स्वीकार है।
18	राकेश राय, मुख्य अग्निशमन अधिकारी, मेरठ	श्री राकेश राय द्वारा दिये गये अपने प्रत्यावेदन दिनांक 08.06.12 में अकित किया है कि चयन 1980-81 में सीधी भर्ती द्वारा अग्निशमन द्वितीय अधिकारी के पद पर चयन हुआ था तथा उसी चयन वर्ष की रिक्ति के सापेक्ष श्री राजेन्द्र तिवारी, श्री बी0पी0 पाण्डेय एवं श्री छिद्दू राम की भर्ती अग्निशमन द्वितीय अधिकारी के पद पर पदोन्नति द्वारा हुई थी, न कि सीधी भर्ती द्वारा। इसलिये ज्येष्ठता नियमावली 1991 के अन्तर्गत प्रार्थी की नियुक्ति सीधी भर्ती के द्वारा होने के कारण उपरोक्त तीनों व्यक्तियों से प्रार्थी	श्री राकेश राय द्वारा अपने प्रत्यावेदन में स्वयं को वर्ष 1980-81 में सीधी भर्ती के अग्निशमन द्वितीय अधिकारी के पद पर चयनित किये जाने का उल्लेख किया है, जो सही है। जहां तक उनका यह क़थन कि उसी चयन वर्ष की रिक्ति के सापेक्ष श्री राजेन्द्र तिवारी, श्री बी0पी0पाण्डेय एवं श्री छिद्दू राम की भर्ती अग्निशमन द्वितीय अधिकारी के पद पर पदोन्नति द्वारा हुई थी, न कि सीधी भर्ती द्वारा यह कथन सही नहीं है। उल्लेखनीय है कि श्री राजेन्द्र

		वरिष्ठ माना जायेगा, अर्थात प्रार्थी का नाम परिचालित ज्येष्ठता सूची के क्रमांक-07, 08 व 09 पर अंकित व्यक्तियों के ऊपर रखा जायेगा	तिवारी, श्री बी0पी0पाण्डेय एवं श्री छिद्दू राम विभागीय परीक्षा द्वारा चयनित होने के उपरान्त दिनांक 01.05.1978 से अग्निशमन द्वितीय अधिकारी के पद पर नियुक्त है, जो श्री राकेश राय से पूर्व में विभाग में सेवारत है और ज्येष्ठता में राकेश राय से ऊपर क्रमांक 07,08 व 09 पर सही अंकित है। इस प्रकार श्री राकेश राय का प्रत्यावेदन दिनांक 08.06.12 बलहीन होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है तथा श्री राकेश राय का नाम क्रमांक-18 पर सही अंकित है।
19	हरबीर सिंह, मुख्य अग्निशमन अधिकारी, कानपुर	ज्येष्ठता स्वीकार है।	ज्येष्ठता स्वीकार है।
20	सुभाष सिंह, मुख्य अग्निशमन अधिकारी, वाराणसी	ज्येष्ठता स्वीकार है।	ज्येष्ठता स्वीकार है।
21	एम0के0 त्यागी, मुख्य अग्निशमन अधिकारी, मुरादाबाद	ज्येष्ठता स्वीकार है।	ज्येष्ठता स्वीकार है।
22	के0पी0 सिंह, मुख्य अग्निशमन अधिकारी, रमाबाई नगर	ज्येष्ठता स्वीकार है।	ज्येष्ठता स्वीकार है।
23	रामधारी सिंह, मुख्य अग्निशमन अधिकारी, लखनऊ	ज्येष्ठता स्वीकार है।	ज्येष्ठता स्वीकार है।
24	महावीर प्रसाद , मुख्य अग्निशमन अधिकारी, मीरजापुर	ज्येष्ठता स्वीकार है।	ज्येष्ठता स्वीकार है।
25	बृजेन्द्र सिंह, मुख्य अग्निशमन अधिकारी, मथुरा	ज्येष्ठता स्वीकार है।	ज्येष्ठता स्वीकार है।
26	वी0पी0 सिंह, मुख्य अग्निशमन अधिकारी, गोरखपुर	ज्येष्ठता स्वीकार है।	ज्येष्ठता स्वीकार है।
27	आई0एस0 सोनी, मुख्य अग्निशमन अधिकारी, सहारनपुर	श्री आई0एस0 सोनी द्वारा दिये गये अपने प्रत्यावेदन दिनांक .. में दिनांक 16.05.2012 को फायर सर्विस मुख्यालय द्वारा निर्गत अग्निशमन द्वितीय अधिकारी व अग्निशमन द्वितीय अधिकारी से अग्निशमन अधिकारी के प्रोन्नत कार्मिकों की पोषक संवर्ग अनन्तिम वरिष्ठता सूची प्राप्त न होने का उल्लेख किया गया हैं। 2. दिनांक 05.06.2012 को सीधी भर्ती व प्रोन्नति संवर्ग के मुख्य अग्निशमन अधिकारियों की पारस्परिक अनन्तिम ज्येष्ठता सूची पोषक संवर्ग के आधार पर निर्गत	फायर सर्विस मुख्यालय द्वारा अग्निशमन द्वितीय अधिकारी व अग्निशमन द्वितीय अधिकारी से अग्निशमन अधिकारी तथा अग्निशमन अधिकारी से मुख्य अग्निशमन अधिकारी के पद पर प्रोन्नत कार्मियों की पोषक संवर्ग(अग्निशमन द्वितीय अधिकारी सीधी भर्ती/प्रोन्नत संवर्ग) अनन्तिम वरिष्ठता सूची पत्र संख्या एफएस-101-94, दिनांक 18.05. 2012 को निर्गत की गयी थी, जिसमे क्रमांक-36 पर श्री सोनी का नाम अंकित है। 2. फायर सर्विस मुख्यालय द्वारा शासनादेश सं0 13/2/91-टीसी-का-1-2012, दिनांक 08.05.2012 द्वारा प्रख्यापित " उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक ज्येष्ठता (चतुर्थ संशोधन)

		किये जाने का उल्लेख किया है, जिसमें स्वयं को सीधी भर्ती का न होना अंकित किया है । उल्लेखित ज्येष्ठता क्रम जिसका उल्लेख उक्त पत्र के विषय एवं पत्र के साथ संलग्न ज्येष्ठता सूची के प्रारम्भ में किया गया है, उनके प्रसंग में अप्रासंगिक है। यथानुसार उक्त उल्लेख के परिप्रेक्ष्य में सुविचार कर उनके प्रसंग में ज्येष्ठता सूची उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया है।	नियमावली, 2012" के अनुसार सीधी भर्ती के मुख्य अग्निशमन अधिकारी व मुख्य अग्निशमन अधिकारी के पद से उप निदेशक तकनीकी/सेनानायक के पद पर प्रोन्नत एवं सीधी/प्रोन्नत संवर्ग के अग्निशमन द्वितीय अधिकारी/अग्निशमन अधिकारी से मुख्य अग्निशमन अधिकारी के पद पर प्रोन्नत कार्मिकों की पोषक संवर्ग मौलिक पद के आधार पर पारस्पारिक अनन्तिम ज्येष्ठता सूची के परिचालन पत्र संख्या एफएस-123-92/II (2012), दिनांक 05.06.2012 द्वारा किया गया है, जिसमें क्रमांक-27 पर श्री सोनी का नाम अंकित है। इस प्रकार श्री सोनी का प्रत्यावेदन दिनांक 12.06.12 बलहीन होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है।
28	महावीर सिंह, मुख्य अग्निशमन अधिकारी, जालौन	श्री महावीर सिंह ने अपने प्रत्यावेदन दिनांक 11.06.12 में स्वयं को वर्ष 2009 का प्रोन्नत सीएफओ अंकित होने का दावा करते हुये उनकी ज्येष्ठता 2010 के प्रोन्नत सीएफओ के पीछे अंकित होन पर आपत्ति की हैं।	फायर सर्विस मुख्यालय द्वारा शासनादेश सं0 13/2/91-टीसी-का-1-2012, दिनांक 08.05.2012 द्वारा प्रख्यापित " उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक ज्येष्ठता (चतुर्थ संशोधन) नियमावली, 2012" के अनुसार सीधी भर्ती के मुख्य अग्निशमन अधिकारी व मुख्य अग्निशमन अधिकारी के पद से उप निदेशक तकनीकी/सेनानायक के पद पर प्रोन्नत एवं सीधी/प्रोन्नत संवर्ग के अग्निशमन द्वितीय अधिकारी/अग्निशमन अधिकारी से मुख्य अग्निशमन अधिकारी के पद पर प्रोन्नत कार्मिकों की पोषक संवर्ग मौलिक पद के आधार पर पारस्पारिक अनन्तिम ज्येष्ठता सूची के परिचालन पत्र संख्या एफएस-123-92/II (2012), दिनांक 05.06.2012 द्वारा किया गया है, जिसमें क्रमांक-28 पर श्री महावीर सिंह का नाम अंकित है। इस प्रकार श्री महावीर सिंह का प्रत्यावेदन दिनांक 11.06.12 बलहीन होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है।
29	महेन्द्र पाल सिंह, मुख्य अग्निशमन अधिकारी, फिरोजाबाद	ज्येष्ठता स्वीकार है।	ज्येष्ठता स्वीकार है।
30	कृष्णा नन्द रावत, मुख्य अग्निशमन अधिकारी, गोण्डा	ज्येष्ठता स्वीकार है।	ज्येष्ठता स्वीकार है।
31	विवेक कुमार शर्मा, मुख्य	प्रशिक्षणाधीन/परिवीक्षाधीन है।	प्रशिक्षणाधीन/परिवीक्षाधीन है।

	अग्निशमन अधिकारी, बरेली		
32	महेन्द्र प्रताप सिंह, मुख्य अग्निशमन अधिकारी, खीरी	प्रशिक्षणाधीन/परिवीक्षाधीन है।	प्रशिक्षणाधीन/परिवीक्षाधीन है।
33	अनिमेष सिंह, मुख्य अग्निशमन अधिकारी, बुलन्दशहर	प्रशिक्षणाधीन/परिवीक्षाधीन है।	प्रशिक्षणाधीन/परिवीक्षाधीन है।
34	विजय कुमार सिंह, मुख्य अग्निशमन अधिकारी, गाजियाबाद	प्रशिक्षणाधीन/परिवीक्षाधीन है।	प्रशिक्षणाधीन/परिवीक्षाधीन है।
35	जसबीर सिंह मुख्य अग्निशमन अधिकारी, झांसी	प्रशिक्षणाधीन/परिवीक्षाधीन है।	प्रशिक्षणाधीन/परिवीक्षाधीन है।
36	मंगेश कुमार, मुख्य अग्निशमन अधिकारी, बाराबंकी	प्रशिक्षणाधीन/परिवीक्षाधीन है।	प्रशिक्षणाधीन/परिवीक्षाधीन है।
37	मो0 शाहिद, मुख्य अग्निशमन अधिकारी, अलीगढ़	प्रशिक्षणाधीन/परिवीक्षाधीन है।	प्रशिक्षणाधीन/परिवीक्षाधीन है।

2- अनन्तिम ज्येष्ठता दिनांक 05.06.2012 के विरूद्ध प्राप्त उपरोक्त आपत्तियों का उपरोक्तानुसार निस्तारण करते हुये संलग्नक के अनुसार उत्तर प्रदेश सीधी भर्ती के मुख्य अग्निशमन अधिकारी व मुख्य अग्निशमन अधिकारी के पद से उप निदेशक तकनीकी/सेनानायक के पद पर प्रोन्नत एवं सीधी/प्रोन्नत संवर्ग के अग्निशमन द्वितीय अधिकारी/अग्निशमन अधिकारी से मुख्य अग्निशमन अधिकारी के पद पर प्रोन्नत कार्मिकों की पोषक संवर्ग के मौलिक पद के आधार पर अधिकारियो की पारस्परिक ज्येष्ठता का निर्धारण करते हुये क्रमांक-1 से 37 तक की अन्तिम ज्येष्ठता सूची प्रख्यापित की जाती है। उक्त अन्तिम ज्येष्ठता सूची गृह विभाग की वेबसाइट पर भी उपलब्ध है।

3- क्रमांक 31 से 37 तक अंकित सीधी भर्ती के मुख्य अग्निशमन अधिकारी प्रशिक्षणाधीन/परिवीक्षाधीन है। इनके नाम लोक सेवा आयोग द्वारा उपलब्ध कराये गये चयनित सूची के ज्येष्ठता क्रम के आधार पर रखा गया है। उक्त सीधी भर्ती के शेष कार्मिको के कार्यभार ग्रहण करने व प्रशिक्षण पूरा करने के उपरान्त उनके नाम लोक सेवा आयोग की चयनित सूची के ज्येष्ठता क्रम के आधार पर निर्धारित करते हुये अन्तिम ज्येष्ठता निर्धारित की जायेगी।

4- कृपया इस सम्बन्ध में सम्बन्धित अधिकारियों को अपने स्तर से अवगत कराते हुए निर्धारण अन्तिम ज्येष्ठता सूची को तत्काल प्रकाशित कराते हुए शासन को 250 प्रतिया उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संलग्नक-यथोपरि

भवदीय,

Rajendra

(आर0एम0 श्रीवास्तव)
प्रमुख सचिव

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- प्रमुख स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।

2- प्रमुख सचिव, श्री राज्यपाल, उ0प्र0।

3- प्रमुख सचिव, मा0 मुख्य मंत्री जी।

4- निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री उ0प्र0 लखनद्ध को प्रान्तीय पुलिस सेवा अधिकारियों की प्रख्यापिज अन्तिम ज्येष्ठता सूची की प्रतियां मुदित करने के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रषित।

5- प्रभारी, गृह नियंत्रण, कम्प्यूटर कक्ष को इस आशय से कि उक्त अन्तिम ज्येष्ठता सूची को वेबसाइट पर अपलोड करने का कष्ट करें।

6- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(सत्येन्द्र कुमार रघुवंशी)
विशेष सचिव

शासनादेश संख्या-982/छः-पु0-8-12-801(77)/2010 दिनांक : 26 जून, 2012 का संलग्नक

उ0प्र0 सरकारी सेवा ज्येष्ठता (चतुर्थ संशोधन) नियमावली-2012 के अनुसार सीधी भर्ती के मुख्य अग्निशमन अधिकारी व मुख्य अग्निशमन अधिकारी के पद से उप निदेशक तकनीकी/सेनानायक के पद पर प्रोन्नत एवं सीधी भर्ती/प्रोन्नत संवर्ग के अग्निशमन द्वितीय अधिकारी/अग्निशमन अधिकारी के मुख्य अग्निशमन अधिकारी के पद पर प्रोन्नत कार्मिको की पोषक संवर्ग के मौलिक पद के आधार पर अन्तिम ज्येष्ठता सूची।

क्र0	अधिकारी का नाम	भर्ती का स्रोत सीधी भर्ती/प्रोन्नत संवर्ग	जन्मतिथि	भर्ती/ नियुक्ति की तिथि	अग्निशमन अधिकारी के पद पर प्रोन्नति की तिथि	अग्निशमन अधिकारी के पद पर स्थायीकरण की तिथि	मुख्य अग्निशमन अधिकारी के पद पर प्रोन्नति की तिथि	मुख्य अग्निशमन अधिकारी के पद पर स्थायीकरण की तिथि	उप निदेशक तकनीकी/ सेनानायक के पद पर पदोन्नति की तिथि	गृह जनपद
1	श्री पी0के0 राव	सीधी भर्ती मुख्य अग्निशमन अधिकारी	01.07.58	25.08.86	--	--	--	25.08.88	24.02.98	गोरखपुर
2	श्री आर0के0 सिंह	सीधी भर्ती मुख्य अग्निशमन अधिकारी	01.03.57	08.09.86	--	--	--	08.09.88	24.11.06	कानपुर नगर
3	श्री जे0के0 सिंह	सीधी भर्ती मुख्य अग्निशमन अधिकारी	13.04.62	07.04.90	--	--	--	07.04.92	--	हरदोई
4	श्री अरविन्द कुमार	सीधी भर्ती मुख्य अग्निशमन अधिकारी	01.06.61	23.03.90	--	--	--	23.03.92	17.12.97	आजमगढ़
5	श्री अमन शर्मा	सीधी भर्ती मुख्य अग्निशमन अधिकारी	11.04.65	17.03.93	--	--	--	17.03.95	--	पानीपत (हरियाणा)
6	श्री अजय गुप्ता	सीधी भर्ती मुख्य अग्निशमन अधिकारी	22.12.67	08.11.00	--	--	--	08.11.02	--	अशोक बिहार (दिल्ली)
7	श्री राजेन्द्र तिवारी(से0नि0)	सीधी भर्ती अग्निशमन द्वितीय अधिकारी	05.04.52	05.01.71/ 04.10.75/ 01.05.78	26.05.90	09.03.92	27.02.09	--	--	चन्दौली
8	श्री वी0पी0 पाण्डेय	सीधी भर्ती अग्निशमन द्वितीय अधिकारी	20.01.53	27.07.71/ 08.02.77/ 01.05.78	26.05.90	09.03.92	26.02.09	--	--	फतेहपुर
9	श्री छिद्दू राम	सीधी भर्ती अग्निशमन द्वितीय अधिकारी	20.03.53	10.02.77/ 01.05.78	26.05.90	10.03.92	19.01.10	--	--	फतेहपुर
10	श्री पी0पी0 अवस्थी	सीधी भर्ती अग्निशमन	15.11.57	01.12.82	26.05.90	13.03.92	18.01.10	--	--	कानपुर नगर

		द्वितीय अधिकारी									
11	श्री आर0के0 पाण्डेय	सीधी भर्ती अग्निशमन द्वितीय अधिकारी	23.09.59	01.12.82	26.05.90	13.03.92	19.01.10	--	--	आगरा
12	श्री योगेश बाबू द्विवेदी	सीधी भर्ती अग्निशमन द्वितीय अधिकारी	10.04.58	01.12.82	26.05.90	13.03.92	19.01.10	--	--	आगरा
13	श्री सतीश चन्द्र	सीधी भर्ती अग्निशमन द्वितीय अधिकारी	01.07.54	01.12.82	26.05.90	13.03.92	19.01.10	--	--	बस्ती
14	श्री जाकिर हुसैन	सीधी भर्ती अग्निशमन द्वितीय अधिकारी	10.05.56	16.08.75/ 01.12.82	26.05.90	13.03.92	19.01.10	--	--	इलाहाबाद
15	श्री नेम चन्द्र	सीधी भर्ती अग्निशमन द्वितीय अधिकारी	05.06.56	01.12.82	26.05.90	13.03.92	20.01.10	--	--	हमीरपुर
16	श्री राम सनेही विश्वकर्मा	सीधी भर्ती अग्निशमन द्वितीय अधिकारी	07.09.56	20.07.79/ 01.12.82	26.05.90	13.03.92	19.01.10	--	--	रमाबाईनगर
17	श्री एस0के0 सिंह कुशवाहा	सीधी भर्ती अग्निशमन द्वितीय अधिकारी	27.10.56	01.12.82	26.05.90	13.03.92	19.01.10	--	--	जालौन
18	श्री राकेश राय	सीधी भर्ती अग्निशमन द्वितीय अधिकारी	02.03.59	01.12.82	26.05.90	13.03.92	30.07.10	--	--	मऊ
19	श्री हरबीर सिंह मलिक	सीधी भर्ती अग्निशमन द्वितीय अधिकारी	01.07.59	01.12.82	26.05.90	13.03.92	19.01.10	--	--	मुजफ्फरनगर
20	श्री सुभाष सिंह	सीधी भर्ती अग्निशमन द्वितीय अधिकारी	09.10.57	01.12.82	26.05.90	13.03.92	19.01.10	--	--	गाजीपुर
21	श्री एम0के0 त्यागी	सीधी भर्ती अग्निशमन द्वितीय अधिकारी	18.03.57	01.12.82	26.05.90	13.03.92	19.01.10	--	--	मेरठ
22	श्री ए0पी0 सिंह	सीधी भर्ती अग्निशमन द्वितीय अधिकारी	15.10.55	04.12.77/ 01.12.82	26.05.90	13.03.92	09.08.03	09.08.05	--	एटा
23	श्री रामधारी सिंह	सीधी भर्ती अग्निशमन द्वितीय अधिकारी	01.02.53	01.12.82	26.05.90	13.03.92	19.01.10	--	--	जौनपुर
24	श्री महावीर प्रसाद	सीधी भर्ती अग्निशमन द्वितीय अधिकारी	20.09.56	01.12.82	26.05.90	13.03.92	20.01.10	--	--	वाराणसी
25	श्री बृजेन्द्र सिंह	सीधी भर्ती अग्निशमन द्वितीय अधिकारी	05.03.56	01.12.82	26.05.90	13.03.92	19.01.10	--	--	इटावा
26	श्री वी0पी0 सिंह	सीधी भर्ती अग्निशमन द्वितीय अधिकारी	18.03.57	01.12.82	26.05.90	13.03.92	19.01.10	--	--	प्रतापगढ़

27	श्री आई0एस0 सोनी	सीधी भर्ती अग्निशमन द्वितीय अधिकारी	04.07.56	01.12.82	26.05.90	24.11.93	30.06.06	30.06.08	--	बुलन्दशहर
28	श्री महावीर सिंह	सीधी भर्ती अग्निशमन द्वितीय अधिकारी	02.01.58	01.12.82	28.05.90	24.11.93	27.02.09	--	--	कानपुर नगर
29	श्री महेन्द्र पाल सिंह	सीधी भर्ती अग्निशमन द्वितीय अधिकारी	30.07.53	01.12.82	28.05.90	24.11.93	19.01.10	--	--	बरेली
30	श्री कृष्णा नन्द रावत	सीधी भर्ती अग्निशमन द्वितीय अधिकारी	12.10.58	01.12.82	28.05.90	24.11.93	19.01.10	--	--	बाराबंकी
31	श्री विवेक कुमार शर्मा	सीधी भर्ती मुख्य अग्निशमन अधिकारी	10.07.80	16.11.11	--	--	--	--	--	बुलन्दशहर
32	श्री महेन्द्र प्रताप सिंह	सीधी भर्ती मुख्य अग्निशमन अधिकारी	23.09.74	06.07.11	--	--	--	--	--	गौतमबुद्धनगर
33	श्री अनिमेष सिंह	सीधी भर्ती मुख्य अग्निशमन अधिकारी	02.05.81	15.08.11	--	--	--	--	--	गोरखपुर
34	श्री विजय कुमार सिंह	सीधी भर्ती मुख्य अग्निशमन अधिकारी	25.08.74	03.09.11	--	--	--	--	--	अम्बेडकरनगर
35	श्री जसवीर सिंह	सीधी भर्ती मुख्य अग्निशमन अधिकारी	12.02.80	01.07.11	--	--	--	--	--	बागपत
36	श्री मंगेश कुमार	सीधी भर्ती मुख्य अग्निशमन अधिकारी	07.07.78	24.06.11	--	--	--	--	--	बुलन्दशहर
37	श्री मो शाहिद	सीधी भर्ती मुख्य अग्निशमन अधिकारी	12.01.77	01.09.11	--	--	--	--	--	गाजियाबाद

नोटः- क्रमांक 31 से 37 तक अंकित सीधी भर्ती के मुख्य अग्निशमन अधिकारी प्रशिक्षणाधीन/परिवीक्षाधीन हैं। इनके नाम लोक सेवा आयोग द्वारा उपलब्ध कराये गये चयनित सूची के ज्येष्ठता क्रम के आधार पर रखे गये हैं। उक्त सीधी भर्ती के शेष कार्मिको के कार्यभार ग्रहण करने व प्रशिक्षण पूरा करने के उपरान्त उनके नाम लोक सेवा आयोग की चयनित सूची के ज्येष्ठता क्रम के आधार पर निर्धारित करते हुये अन्तिम ज्येष्ठता निर्धारित की जायेगी।

(आर0एम0 श्रीवास्तव)
प्रमुख सचिव

27	श्री आई0एस0 सोनी	सीधी भर्ती अग्निशमन द्वितीय अधिकारी	04.07.56	01.12.82	26.05.90	24.11.93	30.06.06	30.06.08	---	बुलन्दशहर
28	श्री महावीर सिंह	सीधी भर्ती अग्निशमन द्वितीय अधिकारी	02.01.58	01.12.82	28.05.90	24.11.93	27.02.09	---	---	कानपुर नगर
29	श्री महेन्द्र पाल सिंह	सीधी भर्ती अग्निशमन द्वितीय अधिकारी	30.07.53	01.12.82	28.05.90	24.11.93	19.01.10	---	---	बरेली
30	श्री कृष्णा नन्द रावत	सीधी भर्ती अग्निशमन द्वितीय अधिकारी	12.10.58	01.12.82	28.05.90	24.11.93	19.01.10	---	---	बाराबंकी
31	श्री विवेक कुमार शर्मा	सीधी भर्ती मुख्य अग्निशमन अधिकारी	10.07.80	16.11.11	---	---	---	---	---	बुलन्दशहर
32	श्री महेन्द्र प्रताप सिंह	सीधी भर्ती मुख्य अग्निशमन अधिकारी	23.09.74	06.07.11	---	---	---	---	---	गौतमबुद्धनगर
33	श्री अनिमेष सिंह	सीधी भर्ती मुख्य अग्निशमन अधिकारी	02.05.81	15.08.11	---	---	---	---	---	गोरखपुर
34	श्री विजय कुमार सिंह	सीधी भर्ती मुख्य अग्निशमन अधिकारी	25.08.74	03.09.11	---	---	---	---	---	अम्बेडकरनगर
35	श्री जसवीर सिंह	सीधी भर्ती मुख्य अग्निशमन अधिकारी	12.02.80	01.07.11	---	---	---	---	---	बागपत
36	श्री मंगेश कुमार	सीधी भर्ती मुख्य अग्निशमन अधिकारी	07.07.78	24.06.11	---	---	---	---	---	बुलन्दशहर
37	श्री मो शाहिद	सीधी भर्ती मुख्य अग्निशमन अधिकारी	12.01.77	01.09.11	---	---	---	---	---	गाजियाबाद

<u>नोटः-</u> क्रमांक 31 से 37 तक अंकित सीधी भर्ती के मुख्य अग्निशमन अधिकारी प्रशिक्षणाधीन/परिवीक्षाधीन हैं। इनके नाम लोक सेवा आयोग द्वारा उपलब्ध कराये गये चयनित सूची के ज्येष्ठता क्रम के आधार पर रखे गये हैं। उक्त सीधी भर्ती के शेष कार्मिको के कार्यभार ग्रहण करने व प्रशिक्षण पूरा करने के उपरान्त उनके नाम लोक सेवा आयोग की चयनित सूची के ज्येष्ठता क्रम के आधार पर निर्धारित करते हुये अन्तिम ज्येष्ठता निर्धारित की जायेगी।

(आर0एम0 श्रीवास्तव)
प्रमुख सचिव